मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 08.07.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीर मीरजापुर-III द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 12.07.2019 को वादी प्राण बहादुर पुत्र जगनारायण निवासी भुर्रा थाना कोइरौना जनपद भदोही द्वारा थाना विन्ध्याचल पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पुत्री को दहेज के लिये हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-193/2019 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दहेज हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-श्रीधर पाल विवेचक- क्षेत्राधिकारी नगर- सुधीर कुमार, पैरोकार-मुख्य आरक्षी पीयूष कान्त यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर उप निरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीर मीरजापुर-III- संतोष कुमार गौतम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त महेश कुमार पुत्र राम लोलारक निवासी सुपन्था थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्तगण —

1.महेश कुमार पुत्र राम लोलारक निवासी सुपन्था थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।